<u>समाचार</u>

निगम ने बड़े बकायादारों को जारी की अंतिम नोटिस

(बकाया राशि सात दिवस के अंदर जमा कराएं अन्यथा आबंटन होगा निरस्त)

कोरबा 10 दिसम्बर 2020 –नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा लीज किराए पर दिए गए दुकानों, भवनों की किराया राशि जमा न करने पर 275 बड़े बकायादारों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है तथा उनसे कहा गया है कि वे 07 दिवस के अंदर किराए की बकाया राशि जी.एस.टी.राशि व विलंब शुल्क सहित निगम कोष में जमा कराएं अन्यथा आबंटन को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

निगम द्वारा अपने स्वामित्व की दुकानों, भवनों, ठेलों आदि का आबंटन लीज शर्तो के अधीन निर्धारित किराए पर संबंधित व्यक्तियों को किया गया है, इन व्यक्तियों द्वारा काफी समय से किराया निगम में जमा नहीं कराया जा रहा, जिससे निगम को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। विभिन्न करों व किराए आदि से प्राप्त राशि से ही निगम शहर का विकास एवं नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराता है, समय पर भुगतान न किए जाने पर निगम की इन सेवाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन बकायादारों को निगम द्वारा डिमांड नोट अभियाचन बिल देकर किराया जमा करने को कहा गया था किन्तु उनके द्वारा बकाया राशि निगम में जमा नहीं कराई गई। निगम द्वारा ऐसे 275 बड़े बकायादारों को अंतिम नोटिस जारी की गई है तथा उनसे कहा गया है कि वे 07 दिवस के अंदर उक्त बकाया राशि को निगम कोष में जमा कराएं अन्यथा उनके द्वारा बकाया किराया राशि जमा न करने की स्थिति में बिना किसी अन्य सूचना के आबंटित दुकान, भवन, ठेला आदि का आबंटन निरस्त कर निगम द्वारा उनका आधिपत्य ले लिया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संबंधितों की होगी।